संख्या : 20(1)/IV(1)/2010–296(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 12 जनवरी, 2010

विषयः कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, हरिद्वार को सफाई उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3200/कु.मे./न.पा., हरिद्वार दिनांक 02.12.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा संलग्न सूची में अंकित कार्यों/उपकरणों के क्रय हेतु प्रस्तुत आगणन/प्रस्ताव रू. 169.50 लाख (रू. एक करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए, **रू. 100.00 लाख (रू. एक करोड़ मात्र)** की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त प्रस्तावान्तर्गत जिन उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार के स्तर से जे.एन.एन.यू. आर.एम. योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त होनी अपेक्षित है, उन उपकरणों को तद्नुसार समायोजित करते हुए, जे.एन.एन.यू.आर.एम. से प्राप्त होने वाली धनराशि को अन्य मदों में व्यय किया जायेगा एवं सम्बन्धित उपकरण उस राशि से क्रय नहीं किये जायेंगे।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता आधार पर ही दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा। उक्त धनराशि कोषागार से आहरित करके निकाय द्वारा अपने पी.एल.ए. खाते में रखी जाएगी और इसका उक्त खाते से वास्तविक आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष 80प्रतिशत धनराशि का व्यय कर लिए जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने पर ही अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 'थर्ड पार्टी चैकिंग' की व्यवस्था भी की जाएगी और उक्त तृतीय पक्ष से चैकिंग की रिपोर्ट शासन को भी समय–2 पर दी जाएगी। उक्त पर होने वाला व्यय उक्त अनुमोदित लागत से ही वहन किया जाएगा।
5. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण कराया जाएगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में अनुमन्य न होगा। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
6. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
7. इस हेतु उपकरणों/निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कडाई से किया जाए।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

1/–

9. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि इस पर अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके, उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
10. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
11. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
12. कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं संबंधित अधिशासी अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी माने जाएंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009–39(सा.)/2006 –टी.सी. दिनांक 24नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 100करोड के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 591/XXVII(2)/200 दिनांक 11 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : -२० (1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या : ३० / IV(1)/2010–296(कुम्भ) / 2009

दिनांक : १२ जनवरी, 2010 का संलग्नक

क्र. सं.	वाहन / उपकरण	नग	दर	कुल लागत
1	2	3	4	5
1	कवर्ड हैण्ड रिक्शा गाड़ी	100	17,000	17,00,000.00
2	कवर्ड ट्रिपर ट्रक	04	10,00,000	40,00,000.00
3	रिफ्यूज काम्पैक्टर बिन्स	100	25,000	25,00,000.00
4	हाईड्रोलिक बिन्स कन्टेनर कैरियर	04	175000	7,00,000.00
5	हाईड्रोलिक बिन्स कन्टेनर	50	40,000	20,00,000.00
6	कन्टेनराइज्ड हैण्डकार्ट	50	11,000.00	5,50,000.00
7	लोडर	02	15,00,000.00	30,00,000.00
8	वाहनों में उपयोग होने वाले डीजल / पेट्रोल पर व्यय	–	25,00,000.00	25,00,000.00
	कुल योग			1,69,50,000.00

(रू. एक करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र)

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।